कार्यालय नगर परिषद, अररिया

पत्रांक– 6528

794/2008-09

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, अररिया ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

अररिया, दिनांक 15 दिसम्बर, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 का अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 का अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया इसकी प्रति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

ह० –

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, अररिया।

ज्ञापांक– 6528 दिनांक–15-12-2018

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

13/12/18

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, अररिया।

13/12/18

कार्यालय, नगर परिषद, अररिया

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का अंकेक्षण के आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0	कंडिका सं0	आपत्ति का विषय	अनुपालन	साक्ष्य	अभ्यु0
1.	794/6(क)(1)	कोषागार खाता से संबंधित रोकड़ बही में आय और व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं पाया साथ ही अन्य रोकड़ बहीयों में भी बहुत जगहों पर आय व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं पाया गया।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में वर्त्तमान में आय का व्यय का शीर्ष दर्ज किया जा रहा है।	रोकड़ बही की छायाप्रति संलग्न	
2.	794/6(क)(2)	रोकड़ बही में अभिश्रव संख्या कही भी लिखा हुआ नहीं पाया गया।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में वर्त्तमान में रोकड़ बही में अभिश्रव संख्या दर्ज किया जा रहा है।	रोकड़ बही की छायाप्रति संलग्न	
3.	794/6(क)(3)	रोकड़ बही के शेष को कोषागार लेजर/बैंक स्टेटमेंट के शेष के साथ मिलान नहीं किया गया। इसे मिलान कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में वर्त्तमान में कोषागार लेजर/बैंक स्टेटमेंट शेष के साथ मिलान किया जा रहा है।	रोकड़ बही की छायाप्रति संलग्न	
4.	794/6(क)(4)	वर्ष के अन्त में आय और व्यय का सार तैयार नहीं किया गया।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में वर्त्तमान में वर्ष के अन्त में आय और व्यय का सार तैयार किया जा रहा है, जो बजट में भी दर्शाया जा रहा है।	बजट की छायाप्रति संलग्न	
5.	794/6(ख)(1)	रोकड़ बही में दिनांकवार प्रविष्टि नहीं पायी गयी जिसके कारण अंकेक्षण के दौरान बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में वर्त्तमान में रोकड़ बही में दिनांकवार प्रविष्टि की जा रही है।	रोकड़ बही की छायाप्रति संलग्न	
6.	794/6(ख)(2)	रोकड़ बही में बहुत से जगहों पर कटिंग की गयी थी। लेकिन इसके विरूद्ध सक्षम पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर नहीं पाया गया।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है।	आदेश की छायाप्रति संलग्न	
7.	794/7(ii)(1)	नगर परिषद द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा द्वादश वित्त आयोग, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना, आदि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के लिये एक रोकड़ बही का संधारण किया गया था। जबकि इन अनुदानों के लिये पृथक-पृथक रोकड़ बही का संधारण करना चाहिए था।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में वर्त्तमान में योजनाओं का अलग-अलग योजनावार रोकड़ बही संधारित की जा रही है।	योजनावार रोकड़ बही की छायाप्रति संलग्न	
8.	[illegible]	नगर परिषद द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर परिषद द्वारा वार्षिक लेखा का वार्षिक बजट में संधारण किया जा रहा है।	बजट की छायाप्रति संलग्न	

9.	794/7(ii)(3)	रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2008 को दर्ज शेष का बैंक स्टेटमेंट में दर्ज शेष के साथ समाधान विवरणी रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में वर्त्तमान में रोकड़ बही से बैंक खाते में दर्ज शेष का समाधान विवरणी तैयार की जा रही है।	समाधान विवरणी की छायाप्रति संलग्न	
10.	794/17	अंकेक्षण को उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक सरकारी भवनों पर बकाया राशि रूपये 13,46,780.00 था। परन्तु अंकेक्षण में इससे संबंधित कोई भी पंजी/संचिका प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण दी गयी विवरणी की जाँच नहीं की जा सकी।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में सरकारी भवनों पर बकाया की वूसली हेतु नोटिस निर्गत किया गया।	नोटिस की छायाप्रति संलग्न	
11.	794/19	नगर परिषद द्वारा सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया था। सैरात पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण दिनांक 01.04.2006 को बकाया राशि, सैरातों की कुल संख्या, वर्ष 2006-07 से 2007-08 के दौरान बन्दोबस्त हुये सैरातों की संख्या और इनसे वसूल किये गये राशि की जानकारी तथा दिनांक 31.03.2008 को बकाया राशि की जानकारी नहीं हो सकी।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में वर्त्तमान में सैरात पंजी का संधारण किया जा रहा है एवं सैरातों की कुल संख्या की गणना भी किया जा रहा है।	सैरात पंजी की छायाप्रति संलग्न	

13/12/18

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, अररिया।

13/12/18